

सनदी लेखाकार या लागत (कॉस्ट) लेखाकार द्वारा प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि हमने शाखाओं द्वारा किए गए सरकारी लेन-देनों से संबंधित अभिलेखों की जांच की है और एजेंसी कमीशन के रूप में दावा की गई राशि ₹.....(रुपये.....) की लेखा-परीक्षा की गई है और केंद्रीय/राज्य सरकारों/भारतीय रिज़र्व बैंक के लेखांकन प्राधिकारियों को प्रस्तुत किए गए सरकारी लेन-देनों की दैनिक नामावली और बैंक में उपलब्ध अन्य अभिलेखों के अनुसार, 'प्राप्तियों और पेंशन के भुगतान के संबंध में लेन-देनों की संख्या और पेंशन के अलावा भुगतानों के संबंध में लेन-देनों की मूल्य को, जैसा की बैंक की बहियों में दर्ज हैको सही पाया है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान दावे में शामिल लेनदेन के लिए एजेंसी कमीशन का दावा केवल एक बार किया गया है।

2. यह भी सत्यापित किया गया है कि केंद्र/राज्य सरकारों की ओर से सरकारी प्राप्तियों (कर और गैर कर दोनों) के संग्रहण को विधिवत स्कॉल किया गया है और निधियों को भारतीय रिज़र्व बैंक को विप्रेषित किया गया है तथा जिस अवधि के लिए एजेंसी कमीशन का दावा किया जा रहा है, उससे संबंधित स्कॉल के लिए कोई भी लेनदेन बैंक के पास लंबित नहीं है।

3. साथ ही, यह भी प्रमाणित किया जाता है कि हमारे पास उपलब्ध पात्र पेंशनरों के खाता का माहवार ब्योरा निम्नलिखित सारणी के अनुसार है और उपर्युक्त एजेंसी कमीशन की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक की वर्तमान अनुदेशों के अनुसार पात्र लेन-देनों के आधार पर ही की गई है और प्राप्ति लेन-देन में बैंक की सभी कर देनदारियों से संबंधित लेनदेन शामिल नहीं है।

क्र.सं.	माह	पेंशनरों की संख्या
1		
2		
3		

हस्ताक्षर, नाम, पंजीकरण सं. और
सनदी लेखाकार या लागत (कॉस्ट) लेखाकार का पता